

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार (ले. एवं ह.),
वीरचन्द पटेल पथ,
पटना।

विषय :- बिहार खेल विश्वविद्यालय, राजगीर (नालंदा) का अकादमी सत्र के सफल एवं सुगम संचालन हेतु वित्तीय वर्ष २०२६-२७ के लिए सहायक अनुदान-गैर वेतन मद में कुल राशि ₹४६,०८,०००/- (छियालीस लाख आठ हजार रुपये) मात्र की निकासी की स्वीकृति।

आदेश :- स्वीकृत।

- राशि का विकलन वर्तमान वित्तीय वर्ष २०२६-२७ में मांग संख्या-५२ के अधीन बजट शीर्ष २२०२-सामान्य शिक्षा-०३-विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा-१०२-विश्वविद्यालयों को सहायता-००३३-बिहार खेल विश्वविद्यालय विपत्र कोड-५२-२२०२०३१०२००३३ के अंतर्गत विषय शीर्ष-३१०६-सहायक अनुदान-गैर वेतन मद में उपबंधित राशि से व्यय होगा।
- राशि की निकासी, अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, खेल विभाग बिहार, पटना द्वारा सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना के माध्यम से की जायेगी तथा विश्वविद्यालय हेतु संधारित बचत खाता संख्या-७८९९६५८१७१, IFSC CODE-IDIB000R252 में राशि का अंतरण किया जायेगा।
- स्वीकृत राशि का लेखा-जोखा अलग रखा जायेगा। भारत सरकार/बिहार सरकार के वित्त अंकेक्षण को स्वीकृत राशि के अंकेक्षण का पूर्ण अधिकार होगा। सम्पूर्ण राशि या इसके किसी अंश का दुरुपयोग प्रमाणित होने पर संस्था से वसूलनीय होगी।
- स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन ससमय खेल विभाग, बिहार, पटना को विहित विपत्र में उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।
- यह स्वीकृति वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-२५६१, दिनांक-१७.०४.१९९८ एवं संकल्प संख्या-३७५८, दिनांक-३१.०५.२०१७ में निहित प्रावधान के आलोक में दी गयी है।
- स्वीकृति आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

०१/०९/२६

(निरंजन कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-०१/स्था०-११(वेतन)-०१/२०२६...३४२...

पटना, दिनांक-०१/०९/२०२६

प्रतिलिपि:-कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/कोषागार पदाधिकारी, नालंदा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

२. कुलसचिव, बिहार खेल विश्वविद्यालय, राजगीर (नालंदा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

३. सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, खेल विभाग, पटना/बजट शाखा/लेखा शाखा (दो प्रतियों में)/आई० टी० मैनेजर, खेल विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

०१/०९/२६

सरकार के संयुक्त सचिव।